न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 81 /2017/313

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

रतनलाल पिता बलदेव ब्राहम्ण जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. उदयसिंह पिता स्वरुपसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. ईश्वरसिंह पत्नि हरिसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. भंवरकंवर पत्नि भैरूसिंह राजपूज उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. नन्दलाल पिता रामचन्द्र शर्मा उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. बंशीलाल पिता रामकरण शर्मा उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. सोहनलाल पिता सुखदेव शर्मा उम्र वयस्क निवासी उदलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कोटडी तहसील कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक 3/4/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 3/4/17 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **उदलियास, पटवार मण्डल उदलियास, भू.अ.निरिक्षक कोटडी, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1005 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1006 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 1007 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **कोटडी** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **उदलियास, पटवार मण्डल उदलियास, भू.अ.निरिक्षक कोटडी, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1005 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1006 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 1007 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने प्रर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी (भीलवाड़ा)